भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–07 / 2019–20

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

अनिल दास, पिता–स्व0 देवेन्द्र दास ..... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य सरकार, झारखण्ड, (अंचल अधिकारी, घाटशिला) एवं अन्य–03 .....विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता अनिल दास, पिता–स्व0 देवेन्द्र दास, निवासी ग्राम–किताडीह टोला–कापागोड़ा, थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, घाटशिला) (2) पूर्णिमा दण्डपाट, पति–स्व0 सतपति दण्डपाट (3) निहार दण्डपाट, पति–स्व0 बकिम दण्डपाट तथा (4) धनपति दण्डपाट, पिता–स्व0 सुरेन्द्र नाथ दण्डपाट सभी का पता–किताडीह टोला–कापागोडा, थाना–घाटशिला को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा दलील संख्या–790 / R27 / 2018–19 / घाटशिला में दिनांक–10 / 12 / 2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया हैं। अपील आवेदन पत्र के साथ Condonnation petition U/S-5 of Limititation Act., सत्यापित बिक्री केवाला की छायाप्रति तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न किया गया है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, घाटशिला से नामान्तरण संख्या–790 / R27 / 2018–19 / घाटशिला की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–790 / R27 / 2018–19 / घाटशिला प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा Limitation Act की धारा–5 के तहत दायर आवेदन पत्र पर सुनवाई के पश्चात इस वाद की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में अभिलेखबद्ध किया गया हैं। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन द्वारा उल्लेखित किया गया हैं कि (1) पूर्णिमा दण्डपाट, पति–स्व0 सतपति दण्डपाट (2) निहार दण्डपाट, पति–स्व0 बंकिम दण्डपाट तथा (3) धनपति दण्डपाट, पिता–स्व0 सुरेन्द्र नाथ दण्डपाट पता–किताडीह टोला–कापागोडा, मौजा–किताडीह, थाना नं0–85, खाता	

नं0–109, प्लॉट नं0–1109, रकवा–0.33 एकड़, भूमि का नामान्तरण हेतु आवेदन सं०–790/R27/18-19 द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। परन्तु उक्त भूमि हाल सर्वे खतियान में (1) देबेन्द्र दास (2) घासीराम दास पिता–स्व० तारा चन्द्र दास एवं (3) गोलोक दास, पिता–स्व० गौर दास के नाम पर दर्ज है। खतियानी रैयत घासीराम दास द्वारा उक्त भूमि को श्री सुरेन्द्र नाथ दण्डपाट को बिक्री दलील सं०–5923 दिनांक–22/08/1966 द्वारा बिक्री किया गया। तब से उक्त भूमि (1) पूर्णिमा दण्डपाट, पति–स्व0 सतपति दण्डपाट (2) निहार दण्डपाट, पति–स्व0 बंकिम दण्डपाट तथा (3) धनपति दण्डपाट, पिता–स्व0 सुरेन्द्र नाथ दण्डपाट पता–किताडीह टोला–कापागोड़ा, के दखल कब्जे में है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा बिना जाँच–पड़ताल, स्थल का निरीक्षण किये बिना, आवेदक को अपनी बात रखने का यथोचित अवसर दिये बिना तथा कागजात देखें बिना ही सिर्फ हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर, श्री सुरेन्द्र नाथ दण्डपाट, जिनकी मृत्यु 28 से 30 साल पहले हो चुकि है, के नाम पर नामान्तरण मुकदमा वाद सं०–790/R27/18-19 दिनांक–10/12/2018 को स्वीकृत किया गया। अपीलकर्ता दिनांक–10/12/2018 के पारित आदेश से संन्तुष्ट नही है और निम्नांकित आधार पर इसका नामांनतरण रद्द किया जाना चाहिएः–

(1) अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा दिनांक 10/12/2018 को पारित किया गया आदेश गलत एवं अपोषनीय है।

(2) अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय प्रश्नगत भूमि के खातेदार को सूचना या जानकारी देने की कोशिश नही की गयी। आवेदन के साथ संलग्न कागजात एवं तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(3) अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा इस बात की अनदेखी की गई की हल्का कर्मचारी और अंचल निरीक्षक के द्वारा बिना स्थल जाँच एवं बिक्री दलील की जाँच के बिना काल्पनीक एवं गैर प्रभावी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो नामातंरण दलील वाद को स्वीकृत करने से पहले कि गई जाँच में हुई कमी को दर्शाता है।

(5) अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा इस बात की अनदेखी की गई कि उक्त भूमि को श्री सुरेन्द्र नाथ दण्डपाट के द्वारा गलत तरीके से क्रय किया गया है और वर्ष 1966 में उक्त भूमि के क्रय–विक्रय के समय श्री सुरेन्द्र नाथ दण्डपाट

द्वारा उक्त भूमि के सह–हिस्सेदारों को उक्त भूमि के क्रय–विक्रय संबंधित कोई जानकारी साझा नहीं की गई।

(6) अंचल अधिकारी, धाटशिला द्वारा ये जानने की कोशिश भी नहीं की गई कि बिक्री दलील वर्ष 1966 का है तो किस कारणवस 52 वर्ष के बाद वर्ष 2018 में नामान्तरण के लिए अपील वाद दायर किया गया है।

(7) अंचल अधिकारी, धाटशिला द्वारा इस बात की अनदेखी की गई कि उक्त भूमि के रैयतदारों में सौहार्दपूर्ण विभाजन के बाद उक्त भूमि आवेदक के पिता के हिस्से में आया था पर गलत तरिके से (1) पूर्णिमा दण्डपाट, पति–स्व0 सतपति दण्डपाट (2) निहार दण्डपाट, पति–स्व0 बंकिम दण्डपाट तथा (3) धनपति दण्डपाट, पिता–स्व0 सुरेन्द्र नाथ दण्डपाट द्वारा भूमि का नामान्तरण करवाया गया।

(8) अंचल अधिकारी, धाटशिला द्वारा इस बात की अनदेखी की गई कि उक्त भूमि पर सुरेन्द्र नाथ दण्डपाट का दखल कब्जा नहीं है क्योकि उनकी मृत्यु 28 वर्ष पूर्व ही हो गई है। इसलिए ये नामान्तरण मुकदमा दलील सं०–790/R27/18-19 गलत है क्योकि ये नामान्तरण एक मृत व्यक्ति के नाम पर किया गया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि, उनके आवेदन को स्वीकार किया जाय तथा निम्न न्यायालय की नामान्तरण मुकदमा संख्या–790/R27/18-19 की माँग करते हुए वाद की सूनवाई हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

द्वितीय पक्ष की ओर से दिनांक–05/03/2020 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया हैं। उनका कथन है कि:–

(1) अंचल अधिकारी, धाटशिला द्वारा पारित आदेश तथ्यों के आधार पर तथा नियमानुसार हैं।

(2) उक्त भूमि 1964 के हाल सर्वे खतियान में (1) देवेन्द्र दास (2) घासीराम दास पिता–स्व० तारा चन्द्र दास एवं (3) गोलोक दास, पिता–स्व० गौर दास के नाम पर दर्ज है। रैयतदारों में सौहार्दपूर्ण विभाजन के बाद उक्त भूमि घासीराम दास के हिस्से में आया और उन्होने अपने हिस्से की भूमि की ही बिक्री की है।

(3) हल्का कार्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर तथा

नामान्तरण के सभी मानदण्डों को पालन करते हुए अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा आदेश परित किया गया है।

(3) वर्त्तमान अपील वाद समय सीमा के अन्दर दायर नही किया गया है। नामान्तरण मुकदमा संख्या–790/R27/18-19 जो अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा दिनांक–10/12/2018 को पारित किया गया है जबकि अपीलकर्त्ता द्वारा 10 महिनो के बाद दिनांक–21/08/2019 को अपील वाद दायर किया है परन्तु नियमतः पारित आदेश के ठीक 30 दिनों के अन्दर नामान्तरण के विरूद्व अपील दायर करना चाहिए था।

(4) उक्त भूमि पर उनका शान्तिपूर्ण दखल–कब्जा है।

(5) देबेन्द्र दास द्वारा अपने हिस्से की भूमि शिव शंकर महाकुड़ को दिनांक–16/04/1998 और बीबाघा भूईयां को वर्ष 1985 में बिक्री किया गया है जिससे यह पता चलता है कि आवेदित भूमि का सौहार्दपूर्ण विभाजन रैयतदारों के बीच हुआ था।

(6) प्रश्नगत भूमि को खरीदने के बाद से ही प्रतिवादी उक्त भूमि पर दखल में हैं एवं नामान्तरण मुकदमा दलील के पारित होने के बाद से हीं लगातार झारखण्ड सरकार को लगान देते आ रहें हैं। अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विचार–विमर्श करने के पश्चात् आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अधिकार है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात न्यायालय का अभिमत है कि प्रासंगिक नामान्तरण मुकदमा संख्या–790/R27/18-19, अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा पारित आदेश सही हैं। अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार मुल अभिलेख अंचल अधिकारी, घाटशिला को वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

20/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

20/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।